



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना नजीबाबाद

दिनांक 26.03.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/24 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307 भादवि व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुख्तारपुर उर्फ हकीमपुर में दो पक्षों के मध्य झगड़े की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा दोनों पक्षों के घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में प्रथम पक्ष के 09 लोग तथा द्वितीय पक्ष के 06 लोग घायल हैं। सभी घायल खतरे से बाहर हैं तथा सभी की स्थिति सामान्य है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा स्थानीय पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।



घटना के संबंध में वादी श्री बाबूराम पुत्र केसरी सिंह की तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 151/24 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307 भादवि व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट बनाम 1.पंकज पुत्र धर्मेन्द्र सिंह 2. आलोक 3.राजन उर्फ टिकू पुत्रगण नरेश 4.उज्ज्वल पुत्र उमेश 5.डिम्पल पुत्र सुरेश 6.भूपेश 7. योगेश पुत्रगण जयपाल 8.तरुण पुत्र भूपेश 9.आकाश पुत्र उमेश नि0गण ग्राम मुख्तारपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर 10.विपिन पुत्र पासीराम नि0 ग्राम पदारथपुर नजीबाबाद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 151/24 धारा 147/148/149/452/323/324/504/506/307 भादवि व 3(2)(5) एस.सी/एस.टी एक्ट में वांछित अभियुक्त योगेश पुत्र जयपाल सिंह नि0 ग्राम मुख्तारपुर उर्फ हकीमपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.योगेश पुत्र जयपाल सिंह नि० ग्राम मुख्तारपुर उर्फ हकीमपुर थाना नजीबाबाद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह पुण्डीर, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2-उ०नि० पुष्पेन्द्र कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3-का० दीपक कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4-का० रोहित कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

5-का० रजत कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 26.03.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 116/2024 धारा 452/307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 24.03.2024 को वादी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बल्लानंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 24.03.2024 को अभियुक्तगण 1.जयपाल सिंह पुत्र सुखराम सिंह 2.जितेन्द्र कुमार 3.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्रगण जयपाल सिंह निवासीगण ग्राम बल्लानंगला थाना स्योहारा बिजनौर 4.विशाल पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम नाजरपुर थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी के भाई-बहन के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा अभियुक्त जयपाल द्वारा वादी के ऊपर फावडे से जानलेवा हमला किया जिससे वादी को गम्भीर चोटें आयी। तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 452/307/323/504/506 भादवि बनाम जयपाल सिंह आदि उपरोक्त कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 116/24 धारा 452/307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम नाजरपुर थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विशाल पुत्र सूरज सिंह नि0 ग्राम नाजरपुर थाना मूढापाण्डे जिला मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 385 राजीव कुमार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.कां0 459 किशनपाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नूरपुर

दिनांक 26-03-2024

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97/24 धारा 363/354/323 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 24.03.2024 वादी द्वारा थाना नूरपुर पर तहरीर देकर अवगत कराया कि अभियुक्त अकरम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौ0 मौहम्मदनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर वादी की बेटी को बहलाफुसलाकर ले गया तथा उसके साथ छेडखानी की गयी । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 97/24 धारा 363/354/323 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम बनाम अकरम उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही -

जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 97/24 धारा 363/354/323 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त अकरम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौ0 मौहम्मदनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अकरम पुत्र सिराजुद्दीन निवासी मौ0 मौहम्मदनगर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1- उ0नि0 श्री मौ0 यासीन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी सचिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- होमगार्ड मनफुल थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 26.03.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 98 / 24 धारा
323 / 354ख / 452 / 504 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.03.2024 को वादी ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. विकास कुमार उर्फ विक्की पुत्र यशपाल सिंह 2. दुष्यन्त कुमार पुत्र यशपाल सिंह नि0गण ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ बिजनौर ने वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की तथा छेडछाड की व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 98 / 24 धारा 323 / 354ख / 452 / 504 / 506 भादवि बनाम 1. विकास 2. दुष्यन्त उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.03.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 98 / 24 धारा 323 / 354ख / 452 / 504 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त विकास कुमार उर्फ विक्की पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त दुष्यन्त उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. विकास कुमार पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम जटपुरा थाना अफजलगढ बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभि0 विकास उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 503 / 16 धारा 3(1)10 एससी / एसटी एक्ट व 147 / 307 / 324 / 452 / 504 / 506 भादवि थाना अफजलगढ बिजनौर

2. मु0अ0सं0 141 / 20 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ बिजनौर

3. मु0अ0सं0 98 / 24 धारा 323 / 354ख / 452 / 504 / 506 भादवि थाना अफजलगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2-हे0का0 60 राकेश थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

3-का0 2335 विजय कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।